# माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

## हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) 2001
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (10+2) 2001

प्रमाणपत्र-सह अंकसूची स.क्र./S.No. 0133438 26

CERTIFICATE-CUM MARKSHEET

MARCH-APRIL **2001**

| केन्द्र क्रमांक CENTRE NO. | संस्था क्रमांक SCHOOL No. | पंजीयन/नामांकन क्रमांक REGISTRATION/ ENROLMENT NO. | नियमित/स्वाध्यायी REGULAR/ PRIVATE | अनुक्रमांक ROLL NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 71058 | 712061 | 3305862 | REGULAR | 27122979 |

प्रमाणित किया जाता है कि
CERTIFIED THAT

श्री/श्रीमती/कुमारी : जिनके
SRI/SMT/KUM SHUVRO CHATTERJEE WHOSE

पिता/पति का नाम श्री :
FATHER'S/HUSBAND'S NAME IS SRI G K CHATTERJEE
व माता का नाम श्रीमती : है
AND MOTHER'S NAME IS SMT TRISHNA CHATTERJEE

हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में संस्था/केन्द्र** से सम्मिलित हुए
HAS APPEARED IN THE HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION FROM
**SCHOOL/CENTRE. ST. JABRIEL H S S KHAMARIA JABALPUR
एवं उनका परीक्षाफल
AND HAS BEEN DECLARED PASS IN FIRST DIVISION रहा।

उनके द्वारा विषयवार निम्नानुसार प्राप्तांक अर्जित किए गए हैं :-
SUBJECTWISE MARKS OBTAINED BY HIM/HER ARE AS UNDER :-

| विषय/SUBJECTS | अधिकतम अंक MAX MARKS | न्यूनतम उत्तीर्णांक MIN. PASS MARKS | | प्राप्तांक/ MARKS OBTAINED | | | विशेष REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सैध्दांतिक THEORY | प्रायोगिक PRACTICAL | सैध्दांतिक THEORY | प्रायोगिक PRACTICAL | योग TOTAL | |
| ENGLISH (SPECIAL) | 100 | 33 | - | 068 | - | 068 | |
| HINDI (GENERAL) | 050 | 17 | - | 038 | - | 038 | DISTN |
| PHYSICS | 100 | 25 | 08 | 065 | 019 | 084 | DISTN |
| CHEMISTRY | 100 | 25 | 08 | 043 | 023 | 066 | |
| MATHEMATICS | 100 | 33 | - | 050 | - | 050 | |
| अतिरिक्त विषय : ADDITIONAL SUBJECT : | **450** | | | | | **306** | ← महायोग GRAND TOTAL |
| | | | | | | | |

महायोग शब्दों में : TOTAL IN WORDS : THREE HUNDRED SIX***

प्राचार्य के स्याही से हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
SIGNATURE & SEAL OF PRINCIPAL
Br. Mathew
Principal
St. Gabriels Hr. Sec. School
Ranjhi - Jabalpur (M. P.)

Dipali Rastogi
(कृ.पृ.उ.देखें) सचिव/SECRETARY

# हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2)

2001

**संकेत :-**

**DISTN** संबंधित विषय [illegible] है।

**GRACE** विषय में कृपांक [illegible]

**GRTH** विषय के सैद्धान्तिक [illegible] कृपांक दिए गए।

**GRPR** विषय के प्रायोगिक [illegible] कृपांक दिए गए।

**GRTP** विषय के सैद्धान्तिक [illegible] भागों में कृपांक दिए गए।

**SUPPL** विषय में पूरक [illegible]

**SUPTH** विषय के सैद्धान्तिक [illegible] पात्रता है।

**SUPPR** विषय के प्रायोगिक [illegible] की पात्रता है।

**SUPTP** विषय के सैद्धान्तिक [illegible] भागों में पूरक की पात्रता है।

**FLDTH** विषय के सैद्धान्तिक [illegible]

**FLDPR** विषय के प्रायोगिक [illegible]

**FLDTP** विषय के सैद्धान्तिक [illegible] भागों में अनुत्तीर्ण।

**FAIL** विषय में अनुत्तीर्ण।

**ABS** अनुपस्थित।

**UFM** अनुचित साधनों [illegible] के कारण विषय में [illegible]

* पूरक परीक्षा [illegible] के लिये)।

** नियमित छात्रों के लिये [illegible] के लिये केन्द्र [illegible]

**नोट :-**

1. अतिरिक्त विषयों के [illegible] में नहीं जोड़े जाते और न ही उनमें [illegible] जाते हैं।
2. सैद्धान्तिक व प्रायोगिक [illegible] में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक [illegible] विषय में कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त [illegible]
3. पूरक परीक्षा के [illegible] परीक्षा वाले विषयों में सैद्धान्तिक [illegible] परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत [illegible] भाग में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना [illegible] उन्हें केवल उसी भाग में पूरक परीक्षा [illegible] जिसमें प्राप्तांक 33 प्रतिशत से कम हैं।
4. पूरक परीक्षा के [illegible] को पूरक वाले विषय में सम्मिलित होने हेतु केवल एक अवसर माह अगस्त/सितम्बर [illegible] में प्रदान किया जाएगा तथा [illegible] प्रदान की जाएगी।

**विशेष :-**

1. प्रमाणपत्र [illegible] में किसी भी प्रकार की काट-छांट [illegible] अपराध है।
2. प्रमाणपत्र [illegible] में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर त्रुटि दर्शाते हुए मूल [illegible] तुरन्त अथवा प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 2 माह के अन्दर मण्डल कार्यालय [illegible] इसके पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
3. प्राप्तांकों [illegible] 60/- (रुपये साठ) प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित है। परीक्षार्थी प्राप्तांकों के सत्यापन [illegible] का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निर्धारित शुल्क सहित परीक्षाफल घोषणा तिथि से [illegible] आवेदन कर सकते हैं। मण्डल विनियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन [illegible] नहीं है। अतः पुनर्मूल्यांकन के आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं होंगे।